स्वतंत्र जाँच

कासगंज का सच:

फ़र्ज़ी पुलिस जाँच ने हिंदुओं को बचाया, मुसलमानों को फंसाया

एफ़आईआर और चार्जशीट बने झूठ का पुलिंदा

समर्थन:

Alliance for Justice and Accountability, New York • Citizens for Justice and Peace, Mumbai • Indian American Muslim Council, Washington D.C. • Peoples' Union for Civil Liberties, New Delhi • Rihaee Manch, Lucknow • South Asia Solidarity Group, London • United Against Hate, New Delhi

अगस्त 29, 2018

पुलिस का झूठ

गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी 2018, को नई दिल्ली से 220 किलोमीटर पूर्व उत्तर प्रदेश के कासगंज शहर में सांप्रदायिक दंगा भड़का. हिंसा और आगज़नी के साथ फ़ायरिंग हुई जिसमें गोली लगने से एक शख़्स की मौत हो गई.

पुलिस के मुताबिक़ गणतंत्र दिवस के मौक़े पर जब कुछ हिंदू युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे तो कुछ मुसलमानों ने उस यात्रा में बाधा पहुँचाई जिसके बाद हिंसा भड़की.

कथित हत्यारे को मिलाकर पुलिस ने 28 मुसलमानों को आरोपी बनाया और दो हफ़्ते के भीतर अधिकतर को गिरफ़्तार भी कर लिया.

ये स्वतंत्र रिपोर्ट बताती है कि किस तरह पुलिस ने हिंसा के लिए ज़िम्मेदार हिंदुओं को बचाया और बेगुनाह मुसलमानों को फंसाया.

इस छल की शुरुआत एक की जगह दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़आईआर) दर्ज करके की गई.

गवाहों के मुताबिक़ वहाँ हिंदू भी गोली चला रहे थे. एक एफ़आईआर होता तो हिंदू भी फंसते क्योंकि ये बताना मुश्किल होता कि मरने वाला हिंदू युवक चंदन गुप्ता किसकी गोली से मरा था.

कासगंज दंगा भड़कने से थोड़ी देर पहले घटनास्थल का माहौल ऐसा था

हत्या के लिए अलग एफ़आईआर करने का फ़ायदा ये हुआ कि उसमें सिर्फ़ मुसलमानों को फंसाया जा सका. हत्या के आरोपी होने की वजह से मुसलमानों को ज़मानत मिलने में छह महीने लग गए. पाँच मुसलमान अभी भी जेल में हैं. क्योंकि हिंदू सिर्फ हिंसा के एफ़आईआर के आरोपी हैं सबको ज़मानत मिल गई है. कुछ तो चंदन की हत्या के चश्मदीद गवाह भी बना दिए गए हैं.

पहला एफ़आईआर: घटनाक्रम

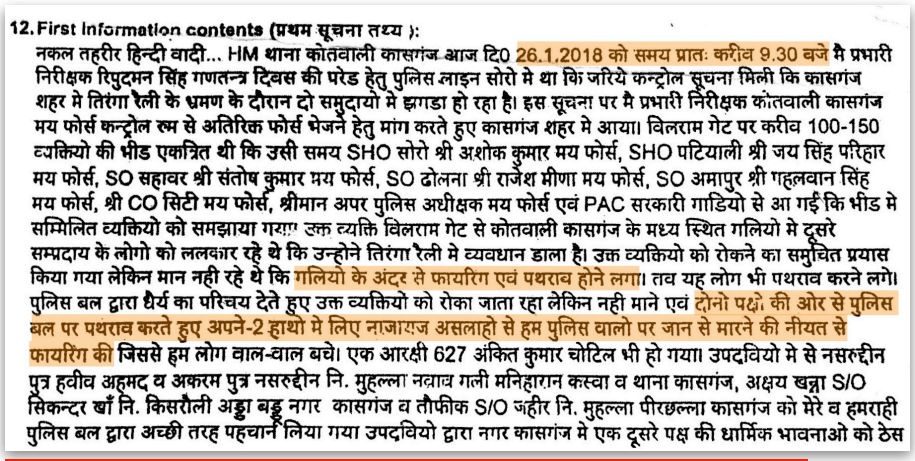

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी... HM थाना कोतवाली कासगंज आज दि0 26.1.2018 को समय प्रातः करीब 9.30 बजे मै प्रभारी निरीक्षक रिपुदमन सिंह गणतन्त्र दिवस की परेड हेतु पुलिस लाइन सोरो मे था कि जरिये कन्ट्रोल सूचना मिली कि कासगंज शहर मे तिरंगा रैली के भ्रमण के दौरान दो समुदायो मे झगडा हो रहा है। इस सूचना पर मै प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कासगंज मय फोर्स कन्ट्रोल रूम से अतिरिक्त फोर्स भेजने हेतु मांग करते हुए कासगंज शहर मे आया। विलराम गेट पर करीब 100-150 व्यक्तियो की भीड एकत्रित थी कि उसी समय SHO सोरो श्री अशोक कुमार मय फोर्स, SHO पटियाली श्री जय सिंह परिहार मय फोर्स, SO सहावर श्री संतोष कुमार मय फोर्स, SO ढोलना श्री राजेश मीणा मय फोर्स, SO अमापुर श्री पहलवान सिंह मय फोर्स, श्री CO सिटी मय फोर्स, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक मय फोर्स एवं PAC सरकारी गाडियो से आ गई कि भीड मे सम्मिलित व्यक्तियो को समझाया गया उक्त व्यक्ति विलराम गेट से कोतवाली कासगंज के मध्य स्थित गलियो मे दूसरे सम्प्रदाय के लोगो को ललकार रहे थे कि उन्होने तिरंगा रैली मे व्यवधान डाला है। उक्त व्यक्तियो को रोकने का समुचित प्रयास किया गया लेकिन मान नही रहे थे कि गलियो के अंदर से फायरिंग एवं पथराव होने लगा। तब यह लोग भी पथराव करने लगे। पुलिस बल द्वारा धैर्य का परिचय देते हुए उक्त व्यक्तियो को रोका जाता रहा लेकिन नही माने एवं दोनो पक्षो की ओर से पुलिस बल पर पथराव करते हुए अपने-2 हाथो मे लिए नाजायज असलाहो से हम पुलिस वालो पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की जिससे हम लोग बाल-बाल बचे। एक आरक्षी 627 अंकित कुमार चोटिल भी हो गया। उपद्वियो मे से नसरुद्दीन पुत्र हवीव अहमद व अकरम पुत्र नसरुद्दीन नि. मुहल्ला नवाब गली मनिहारान कस्बा व थाना कासगंज, अक्षय खन्ना S/O सिकन्दर खाँ नि. किसरौली अड्डा बड्डू नगर कासगंज व तौफीक S/O जहीर नि. मुहल्ला पीरछल्ला कासगंज को मेरे व हमराही पुलिस बल द्वारा अच्छी तरह पहचान लिया गया उपद्वियो द्वारा नगर कासगंज मे एक दूसरे पक्ष की धार्मिक भावनाओ को ठेस

एसएचओ रिपुदमन सिंह ने एफ़आईआर में जो अपना बयान लिखा उसमें कई अंतर्विरोध हैं

पहला एफ़आईआर (नं. 59/18) कासगंज कोतवाली के एसएचओ रिपुदमन सिंह ने दर्ज किया जिनके अधिकार क्षेत्र में दंगा हुआ. वो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में थे जब उन्हें पता चला तिरंगा यात्रा पर दो समुदायों में झगड़ा हो रहा है. उन्होंने फ़ोर्स बुला भेजी और घटनास्थल बिलराम गेट चौराहे को रवाना हो गए. वहाँ पाया कि 100-150 लोग पहले से मौजूद थे. और पुलिस अधिकारी भी मय फ़ोर्स जल्द वहाँ पहुँच गए.

लेकिन रिपुदमन सिंह का यह एफ़आईआर दरअसल झूठ का पुलिंदा है. पुलिस वालों, चश्मदीद गवाहों और आरोपियों के बयान और एफ़आईआर में विस्तृत घटनाक्रम में पूरी तरह विरोधाभास है. हालाँकि एफ़आईआर में हिंदुओं और मुसलमानों को अलग से चिन्हित नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से इसे लिखा गया है उससे साफ़ है कि बात किसकी हो रही है.

“उक्त व्यक्ति [हिंदू] बिलराम गेट से कोतवाली कासगंज के मध्य स्थित गलियों में दूसरे संप्रदाय के लोगों [मुस्लिम] को ललकार रहे थे कि उन्होंने तिरंगा रैली में व्यवधान डाला है,”[1] एफ़आईआर कहता है. "उक्त व्यक्तियों को रोकने का समुचित प्रयास किया गया लेकिन मान नहीं रहे थे कि गलियों के अंदर से फ़ायरिंग एवं पथराव होने लगा. तब ये लोग भी पथराव करने लगे.

"पुलिस बल द्वारा धैर्य का परिचय देते हुए उक्त व्यक्तियों को रोका जाता रहा लेकिन नहीं माने एवं दोनों पक्षों की ओर से पुलिस बल पर पथराव करते हुए अपने-2 हाथों में लिए नाजायज़ असलाहों से हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फ़ायरिंग की जिससे हम लोग बाल-बाल बचे.

“उपद्रवियों द्वारा नगर कासगंज में एक दूसरे पक्ष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के आशय से गाली गलौज, धार्मिक स्थलों में तोड़ फोड़, आगजनी की गई. नगर की लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई.

“जनता में भय व आतंक व्याप्त हो गया. जनता के लोग अपने-2 व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर भयवश अपने-2 घरों में छिप गए."

एफ़आईआर में दर्ज घटनाक्रम में हिंदू या मुसलिम समुदाय का नाम नहीं लिया गया है. लेकिन लिखे जाने के तरीक़े से ये साफ़ है कि पुलिस मुसलमानों को ही हिंसा का ज़िम्मदार मानती है

एफ़आईआर के मुताबिक़ एसएचओ रिपुदमन सिंह और अन्य पुलिस वालों ने दंगाइयों में से चार मुसलमानों को पहचान लिया था. अत: उनपर और उनके साथ अज्ञात 100-150 दंगाइयों पर एफ़आईआर में भारतीय दंड संहिता (IPC) की निम्न धाराएँ लगाई गईं:

टेबल 1

आईपीसी	सरोकार	सज़ा
147	दंगा/बलवा करना	दो साल तक की जेल
148	घातक हथियार के साथ दंगा/बलवा करना	तीन साल तक की जेल
149	ग़ैरक़ानूनी भीड़ का हर सदस्य बराबर का दोषी	—
295	धर्मस्थल को अपमानित करना, तोड़-फोड़ करना, नुक़सान पहुँचाना	दो साल तक की जेल
307	हत्या का प्रयास	दस साल तक की जेल
323	हाथापाई, मारपीट करना	एक साल तक की जेल
336	दूसरे के जीवन को या उसकी सुरक्षा को संकट में डालना	तीन महीने तक की जेल
427	शरारत से पचास रुपए से अधिक का नुक़सान	दो साल तक की जेल
436	आग या विस्फोटक से किसी भवन को नष्ट करना	दस साल तक की जेल
504	जानबूझ कर शांति भंग करना	दो साल तक की जेल

इस एफ़आईआर में भारतीय दंड संहिता के संशोधन अधिनियम 1934 की धारा 7 को भी शामिल किया गया. जानबूझकर किसी के काम-धाम या कारोबार को रोकने के लिए हिंसा करने वाले के ख़िलाफ़ ये धारा लगाई जाती है.

[1] देखें पृष्ठ 5 पर घटनास्थल का पुलिस नक़्शा

अब्दुल हमीद चौक

पुलिस की जाँच में जिस तथ्य को सबसे कम तवज्जो दी गई है, या यूँ कहा जाए कि नज़रअंदाज ही कर दिया गया है, वो ये है कि 26 जनवरी की उस सुबह मुहल्ले के मुसलमान बिलराम गेट चौराहे से लगभग 400 मीटर दूर स्थित अब्दुल हमीद चौक[2] पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण के लिए जमा हुए थे. इस चौक का नाम भारतीय सेना के उस शहीद जवान की याद में रखा गया है जिसने 1948 में कश्मीर में हुए युद्ध में अपनी जान दे दी थी. ये कार्यक्रम वहाँ सालों से आयोजित किया जा रहा है.

मुसलमानों का कहना है कि विवाद तब शुरू हुआ जब मोटरसाइकिल पर सवार हिंदू लड़के मुसलमानों द्वारा ध्वजारोहण के उस कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे और वहाँ रखी कुर्सियों को बलपूर्वक हटाकर आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाने की ज़िद करने लगे.

हिंसा से पहले अब्दुल हमीद चौक पर मुसलमानों द्वारा गणतंत्र दिवस की तैयारियाँ

आगे चल कर 1 अप्रैल को शफ़ीक़ अहमद नाम के एक "स्वतंत्र" गवाह ने पुलिस को बताया कि जब मोटरसाइकिल रैली अब्दुल हमीद चौक पर पहुँची थी और झगड़ा शुरू हुआ था तो उसकी अगुवाई अनुकल्प चौहान नाम का एक हिंदू नौजवान कर रहा था.

फिर भी पुलिस ने चौहान को मुख्य अभियुक्त न बनाकर उसे एक तरह से क्लीन चिट दे डाली.

16 अप्रैल को रज़्ज़ान नाम के एक दूसरे "स्वतंत्र" गवाह ने भी पुलिस को बताया कि हिंसा तब भड़की जब हिंदुओं ने मुसलमानों के ध्वजारोहण कार्यक्रम में बाधा पहुँचाई.

इन मुसलमान गवाहों के बयान संदिग्ध मान भी लें, तो हिंदू नौजवान सौरभ पाल और सिद्धार्थ वाल्मीकि के बयान इसकी पुष्टि करते हैं. पाल और वाल्मीकि मोटरसाइकिल रैली का हिस्सा थे और पहले एफ़आईआर के आधार पर बनी चार्जशीट में अभियुक्त क़रार दिए गए हैं.

18 अप्रैल को पाल और वाल्मीकि ने पुलिस को बताया कि जब मोटरसाइकिल रैली अब्दुल हमीद चौक पहुँची तो वहाँ सड़क पर कुर्सियाँ रखी हुई थीं. चंदन गुप्ता ने मुसलमानों को कुर्सियाँ हटाने को कहा लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया. इसके बाद "कहा सुनी होने लगी, हम लोग जय श्रीराम और वंदे मातरम् के नारे लगा रहे थे".

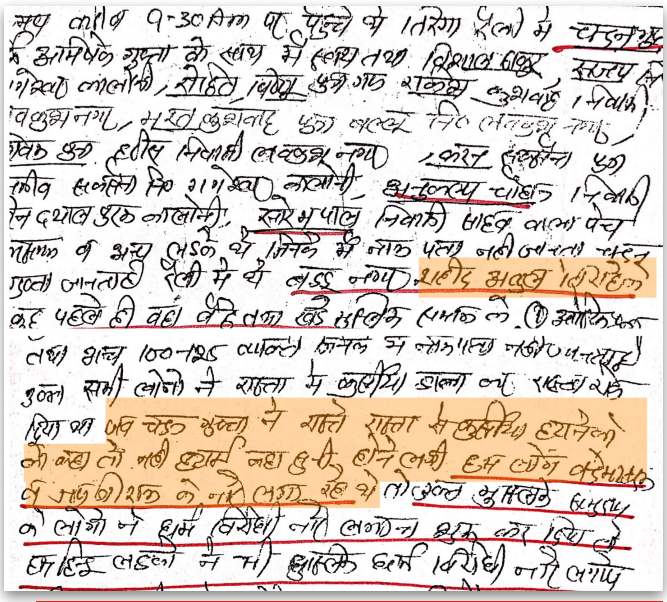

पाल और वाल्मीकि ने माना हिंसा अब्दुल हमीद चौक से शुरू हुई

अब्दुल हमीद चौक पर हुई इस घटना के शुरुआती अंश वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे के फ़ुटेज में मौजूद हैं. इसके बावजूद पुलिस ने कभी भी उस फ़ुटेज को सबूत के तौर पर नहीं लिया न ही चार्जशीट में उसका ज़िक्र किया.

---

[2] देखें पृष्ठ 6, पैरा 3; और देखें पृष्ठ 5 घटनास्थल का पुलिस नक़्शा

घटनास्थल का पुलिस नक़्शा

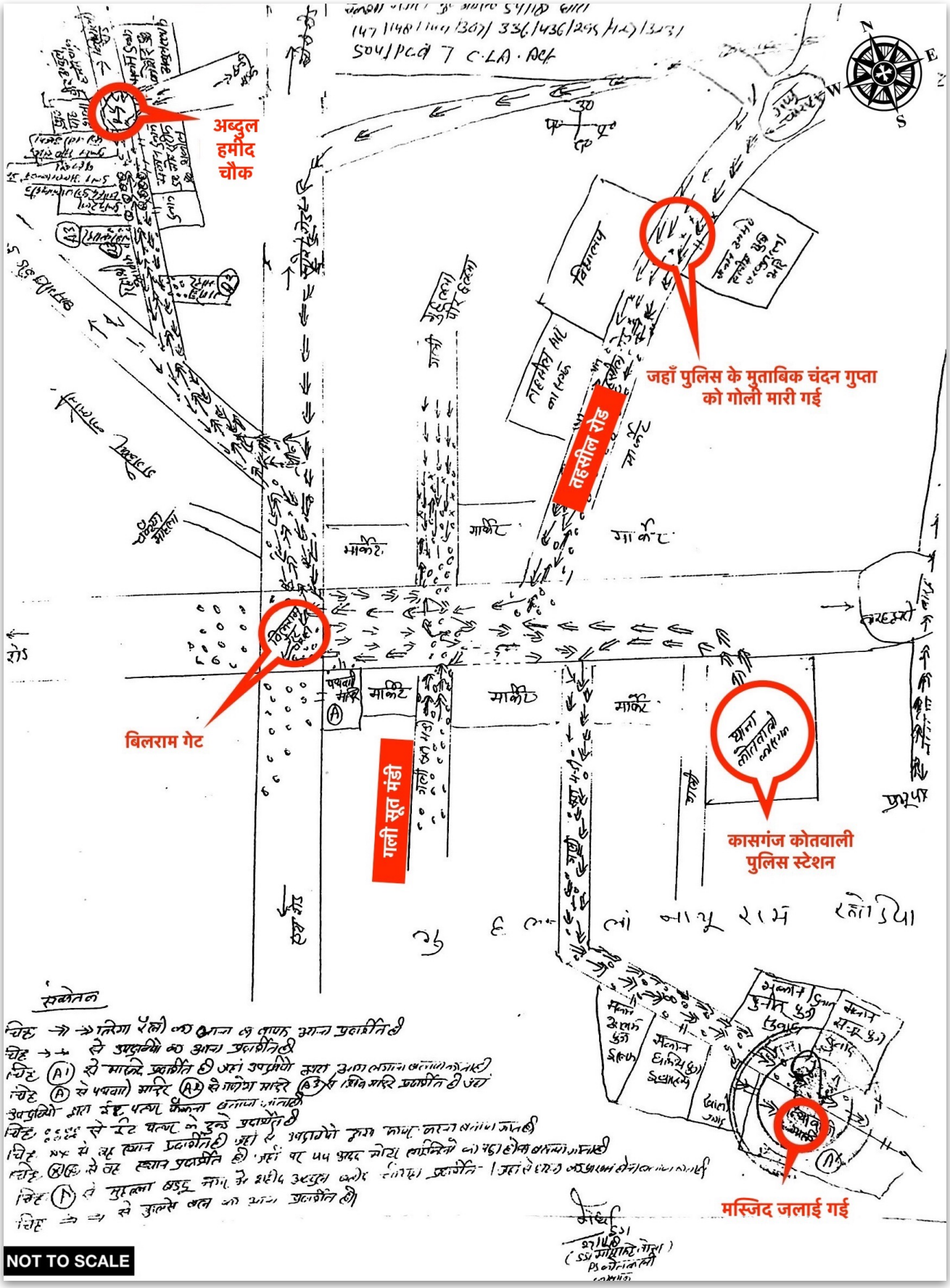

पहला एफ़आईआर: 10 बड़ी ग़लतियाँ

ग़लत समय: एफ़आईआर के मुताबिक़ एसएचओ रिपुदमन सिंह को हिंसा की सूचना सुबह 9:30 बजे मिली. लेकिन सीसीटीवी फ़ुटेज से पता चलता है कि दोनों गुटों के बीच का झगड़ा कमसेकम 25 मिनट बाद शुरू हुआ.

अलग-अलग घटनास्थल: रिपुदमन सिंह ने लिखा कि हिंसा बिलराम गेट चौराहे से शुरू हुई. लेकिन अन्य पुलिस वालों और चश्मदीद गवाहों ने बाद में बयान दिए कि हिंसा वहाँ से 400 मीटर दूर अब्दुल हमीद चौक[3] पर शुरू हुई.

जानकारियाँ शामिल नहीं की गईं: एफ़आईआर में इसका ज़िक्र नहीं है कि अब्दुल हमीद चौक पर मुसलमानों द्वारा तिरंगा

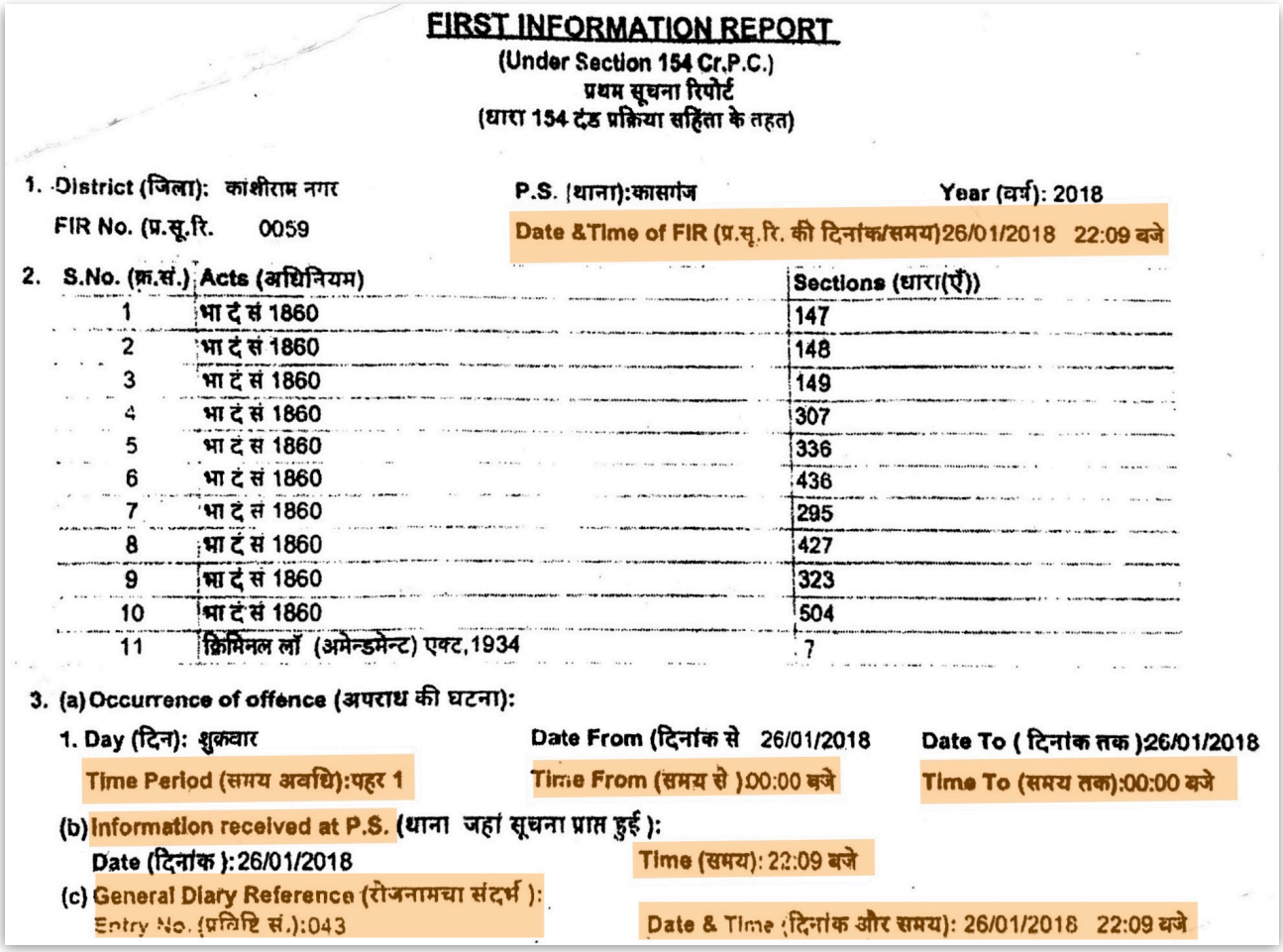

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): कांशीराम नगर P.S. (थाना):कासगंज Year (वर्ष): 2018
FIR No. (प्र.सू.रि. 0059 Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय)26/01/2018 22:09 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	147
2	भा द सं 1860	148
3	भा द सं 1860	149
4	भा द सं 1860	307
5	भा द स 1860	336
6	भा द सं 1860	436
7	भा द स 1860	295
8	भा द स 1860	427
9	भा द सं 1860	323
10	भा द स 1860	504
11	क्रिमिनल लॉ (अमेन्डमेन्ट) एक्ट,1934	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): शुक्रवार Date From (दिनांक से 26/01/2018 Date To (दिनांक तक)26/01/2018
Time Period (समय अवधि):पहर 1 Time From (समय से):00:00 बजे Time To (समय तक):00:00 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक):26/01/2018 Time (समय): 22:09 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.):043 Date & Time (दिनांक और समय): 26/01/2018 22:09 बजे

पहला एफ़आईआर 12 घंटे बाद दर्ज हुआ फिर भी उसमें चंदन की मृत्य का ज़िक्र नहीं

फहराए जाने के कार्यक्रम में हिंदुओं द्वारा बाधा डालने की कोशिश के बाद हिंसा शुरू हुई.

ग़लत दूरी: एफ़आईआर कहता है घटनास्थल कासगंज कोतवाली से 500 मीटर दूर है जबकि ये दूरी 300 मीटर की है.

ग़लत दावा: एफ़आईआर कहता है कि पुलिस स्टेशन को हिंसा की जानकारी रात 10:09 बजे मिली जबकि एसएचओ रिपुदमन सिंह के साथ अन्य पुलिस वाले भी उस सुबह हिंसा के चश्मदीद गवाह रहे थे.

विलंब का कारण नहीं: एफ़आईआर में "देरी का कारण बताओ" वाला कॉलम ख़ाली है. हिंसा की अवधि 00:00 लिखी गई है[4].

---

[3] देखें पृष्ठ 5 पर घटनास्थल का पुलिस नक़्शा

[4] देखें इसी पृष्ठ पर एफ़आईआर

हत्या दर्ज नहीं: एफ़आईआर हिंसा के 12 घंटे बाद दर्ज किया गया फिर भी उसमें चंदन गुप्ता की मृत्यु का ज़िक्र नहीं है. और न ही इस बात की कोई जानकारी दी गई कि हत्या का ज़िक्र क्यों नहीं है.

शिकायतकर्ता नहीं: हिंसा भीड़भाड़ वाले इलाक़े में दिनदहाड़े हुई जहाँ सैंकड़ों घर और दुकानें हैं. फिर भी स्वतंत्र शिकायतकर्ता खोजने के बजाए एसएचओ रिपुदमन सिंह ने एफ़आईआर में शिकायतकर्ता की जगह अपना नाम लिख दिया.

ढीली जाँच: एसएचओ ने कहा झगड़ा उनके पहुँचने से पहले शुरू हो गया था. फिर भी 12 घंटे तक एफ़आईआर नहीं दर्ज किया.

दंगाइयों की पहचान: हिंसा के समय एसएचओ सिंह हिंदुओं से बात कर रहे थे. एफ़आईआर में फिर भी हिंदुओं का नाम नहीं है. जो मुस्लिम दंगाई उनके मुताबिक़ गली के अंदर से गोलियाँ चला रहे थे उनको दूर से पहचान लिया.

मोटरसाइकिल सवार हिंदू भगवा झंडा भी लिए चल रहे थे

हिंदुत्व संगठन के तार

एफ़आईआर के मुताबिक़ हिंसा की पहली सूचना पुलिस स्टेशन में 26 जनवरी को रात 10:09 बजे दी गई जिसे उस समय पुलिस स्टेशन की जनरल डायरी[5] (जीडी) में एंट्री संख्या 43 के अधीन दर्ज किया गया.

लेकिन जीडी में उस रोज़ की एंट्री संख्या 29 के मुताबिक़ हिंसा की पहली सूचना सुबह 11:53 दर्ज हो चुकी थी. इसमें लिखा है कि मोटरसाइकिल रैली को "हिंदू विश्व वाहिनी" ने आयोजित किया था. संभवत: ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संगठन "हिंदू युवा वाहिनी" का उल्लेख था.

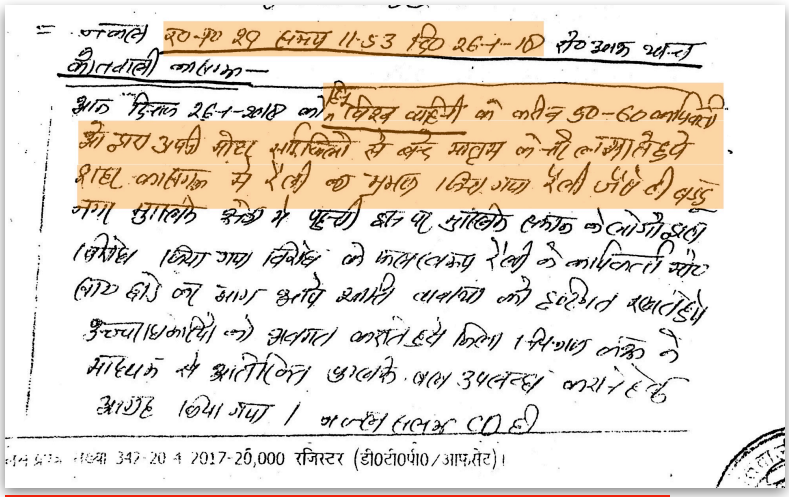

पुलिस ने एक हिंदू संगठन का नाम भी लिखा लेकिन उसकी जाँच नहीं की

दरअसल मोटरसाइकल रैली के कई हिंदू आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से जुड़े हैं. कई के फ़ेसबुक पेज से ज़ाहिर होता है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं और हिन्दुत्ववादी सांप्रदायिक कट्टरता का व्यवहार करते हैं.

एफ़आईआर के विवेचक (जाँच अधिकारी) सब-इंस्पेक्टर मोहर सिंह तोमर ने उसी रात केस डायरी[6] में जीडी की एंट्री संख्या 29 को अक्षरश: दर्ज किया.

लेकिन आने वाले महीनों में तोमर ने उस मोटरसाइकिल रैली में भाग लेने वाले हिंदुओं की राजनीतिक और संगठनात्मक पृष्ठभूमि की जाँच करने की कोशिश नहीं की.

---

[5] जनरल डायरी (जीडी) पुलिस स्टेशन की वो पुस्तिका है जिसमें थाने पर मिलने वाली अपराध की हर जानकारी दर्ज की जाती है

[6] हर एफ़आईआर की जाँच उसकी केस डायरी में रोज़ाना दर्ज होती है. ये जीडी से अलग होती है

पक्षपाती जाँच

एफ़आईआर में चार मुसलमानों को नामज़द करने के कुछ मिनट बाद ही एसएचओ सिंह ने तोमर को दिए बयान में 24 और मुसलमानों के भी नाम दे दिए. एसएचओ ने कहा "मेरी जानकारी में आया है" कि इस घटना में ये 24 भी शामिल थे. लेकिन ये नहीं बताया कि मिनटों में यह तथ्य उनकी "जानकारी" में कहाँ से आया.

तीन महीने की जाँच में तोमर ने ये जानने की कोशिश भी नहीं कि एसएचओ सिंह को इन 24 मुसलमानों के नाम आख़िरकार कहां से और कैसे मिले. आगे चलकर इन मुसलमानों में से ज़्यादातर को 19-वर्षीय चंदन गुप्ता की हत्या का आरोपी बना दिया गया.

अगले दो हफ़्ते तक जाँच अधिकारी तोमर का ध्यान मुसलमानों को गिरफ़्तार करने में लगा रहा. उन्होंने हिंदुओं की जाँच तक नहीं की.

सिर्फ़ मुसलमानों के पीछे पड़ते हुए तोमर ने दो हफ़्ते में 19 लोगों को गिरफ़्तार किया. इस दौरान तोमर ने न किसी हिंदू से पूछताछ की और न ही गिरफ़्तार किया

मुसलमानों की गिरफ़्तारी

एफ़आईआर में नामज़द चारों मुसलमानों को घटना के अलगे दिन 27 जनवरी को गिरफ़्तार कर लिया गया. गिरफ़्तार होते ही उन्होंने अपना "गुनाह" भी क़बूल कर लिया. इतना ही नहीं. चारों ने चार और मुसलमानों के नाम भी दे दिए. इत्तफ़ाक़ ये कि ये नए चार नाम एसएचओ रिपुदमन सिंह द्वारा जाँच अधिकारी तोमर को दी गई 24 मुसलमानों की सूची के पहले चार नाम थे.

मुसलमानों की गिरफ़्तारी घटना के अगले दिन से ही शुरू गई

अगले दिन रेलवे स्टेशन पर ये चारों गिरफ़्तार हो गए. तोमर ने लिखा कि वे भागने वाले थे. इन चारों ने भी गुनाह मान लिया. 29 जनवरी को एक और मुसलमान गिरफ़्तार हुआ. उसने तीन और मुसलमानों के नाम बताए. अज्ञात जानकारी के आधार पर अगले दिन रेलवे स्टेशन से ये तीन भी गिरफ़्तार हो गए.

31 जनवरी को चंदन का कथित हत्यारा सलीम गिरफ़्तार हो गया. उसका नाम एसएचओ की सूची में था. उसने भी गुनाह क़बूल कर 27 मुसलमानों के नाम लिए: चार एफ़आईआर के नामज़द और बाक़ी एसएचओ की सूची से. घटना के दो हफ़्ते बाद 8 फ़रवरी तक 19 मुसलमान गिरफ़्तार हो चुके थे.

हिंदुओं का बचाव

तमाम पुलिसवालों और चश्मदीद गवाहों ने अपने बयानों में कहा कि रैली के हिंदुओं ने गोलीबारी की और मुसलमानों के घरों, दुकानों और मस्जिदों पर आगज़नी और तोड़-फोड़ की.

लेकिन हिंदुओं को गिरफ़्तार करना तो दूर तोमर ने उनकी जाँच-पड़ताल तक नहीं की. ये तब जब घटना के अगले ही दिन, 27 जनवरी को, एक मस्जिद के इमाम हाजी अलीम ने तोमर को उनकी मस्जिद पर हमले की विस्तृत जानकारी दी थी.

26 जनवरी को इमाम अलीम एक पड़ोसी से बात कर रहे थे जब 25-30 लोग नारे लगाते हुए आए और पेट्रोल बम से उनकी मस्जिद को आग लगा दी. पड़ोसी ने भी इस तथ्य की पुष्टि की. लेकिन तोमर ने इन दावों की जाँच नहीं की.

मस्जिद में हुई आगज़नी की पुलिस ने जाँच तक नहीं की

दो हिंदू दुकानदारों ने तोमर को बताया कि वो हमलावरों को नहीं पहचान पाए. मतलब ये कि हमलावर बाहरी थे, स्थानीय मुसलमान नहीं. लेकिन तोमर ने हमलावरों की जाँच नहीं की.

29 जनवरी को सिपाही बलबीर सिंह ने तीन हिंदुओं के नाम दिए: अनुकल्प चौहान, विशाल ठाकुर और सौरभ पाल. सिपाही अजय पाल ने चौहान को रैली का आयोजक कहा.

दोनों सिपाहियों ने एफ़आईआर में नामज़द चार मुसलमानों की पहचान की. साथ ही उन 24 मुसलमान दंगाइयों के नाम भी लिए जो एसएचओ सिंह ने दिए थे. लेकिन इन दोनों सिपाहियों ने ये नहीं बताया कि उन्हें ये नाम कैसे मिले.

7 फ़रवरी को चंदन गुप्ता के कथित हत्यारे सलीम के दो भाइयों को गिरफ़्तार कर लिया गया[7]. दोनों ने पुलिस को बताया कि चौहान, ठाकुर और पाल रैली में थे.

9 फ़रवरी — घटना के 14 दिन बाद और सिपाही बलबीर सिंह और अजय पाल द्वारा तीन हिंदुओं की पहचान के 11 दिन बाद — जाँच अधिकारी तोमर ने केस डायरी में लिखा कि वो अनुकल्प चौहान, विशाल ठाकुर और सौरभ पाल के घरों तक गए थे लेकिन तीनों घटना के दिन से ही भागे हुए थे.

9 फ़रवरी को ही चंदन गुप्ता के भाई विवेक ने तोमर को बताया कि वो भी रैली में मौजूद था. विवेक ने चौहान, ठाकुर और पाल की रैली में मौजूदगी की पुष्टि की.

उस दिन केस डायरी में तोमर ने लिखा कि चौहान, ठाकुर और पाल के ख़िलाफ़ सबूत हैं: “धार्मिक उन्माद फैलाने का वीडियो वायरल किया गया है[.] वीडियोग्राफ़ी के अवलोकन से विशाल ठाकुर, सौरभ पाल, अनुकल्प चौहान के फ़ुटेज भी मौजूद हैं.”

12 फ़रवरी को तोमर ने अदालत से मांग की कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत चौहान, ठाकुर और पाल को भगोड़ा घोषित किया जाए और उनके ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी किया जाए. लेकिन कोर्ट ने ऐसा आदेश नहीं दिया और न ही तोमर ने इन आदेशों के लिए अदालत से दोबारा आग्रह किया.

आने वाले दिनों में पुलिस ने दो और मुसलमानों को गिरफ़्तार कर लिया. इस तरह इस एफ़आईआर की जाँच के दौरान गिरफ़्तार किए गए मुसलमानों की संख्या 21 तक पहुँच गई. घटना के दो महीने बाद तक भी कोई हिंदू गिरफ़्तार नहीं किया गया था.

29 जनवरी तक चौहान, ठाकुर और पाल के नाम आ चुके थे. तोमर ने न इनसे पूछताछ की और न गिरफ़्तार किया. बाद में तोमर ने कहा कि तीनों भाग चुके हैं

[7] सलीम के इन दो भाइयों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 23 जुलाई 2018 को ज़मानत मिल गई. लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको रिहा करने से मना कर दिया. 6 अगस्त 2018 को राज्य सरकार ने दोनों भाइयों पर राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून लगा दिया. दोनों अब भी जेल में हैं

हिंदुओं की गिरफ़्तारी

28 मार्च को पुलिस ने सात हिंदुओं को गिरफ़्तार किया. इनमें सिर्फ विशाल ठाकुर का नाम पहले आया था. उसने पुलिस को बयान दिया कि चंदन की मृत्यु होने पर बदला लेने के लिए उसने अन्य हिंदुओं के साथ पथराव, आगज़नी और गोलीबारी की.

ठाकुर ने चौहान और पाल समेत कई अन्य हिंदुओं के नाम लिए. पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार करने की कोई कोशिश नहीं की. ठाकुर ने तीन मुसलमानों के भी नाम लिए. पुलिस ने इन मुसलमानों को कुछ घंटों में ही गिरफ़्तार कर लिया.

9 अप्रैल को चौहान ने आत्मसमर्पण किया. बिना वक्त ज़ाया किए उसने अगले दिन ही ज़मानत के लिए याचिका दायर कर दी.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नेत्रपाल सिंह ने चौहान को फ़ौरन ज़मानत दे भी दी.

चौहान की ज़मानत होते ही सौरभ पाल व एक और हिंदू ने आत्मसमर्पण कर दिया.

आज तक इनके अलावा कोई भी हिंदू गिरफ़्तार नहीं किए गए हैं.

ऐसा नहीं है कि जाँच करने के लिए तोमर के पास हिंदुओं के नाम नहीं थे.

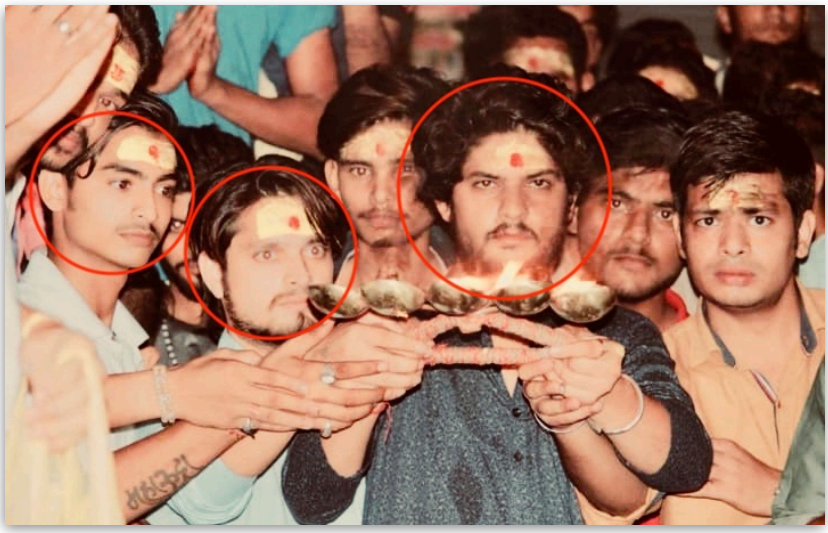

[बाएँ से दाएँ] विशाल ठाकुर, सौरभ पाल और अनुकल्प चौहान की तिगड्डी

चंदन के कथित हत्यारे सलीम की माँ शकीरा बेगम ने 8 फ़रवरी को एसएचओ सिंह को एक पत्र लिखकर बताया कि 27 जनवरी को चंदन के दाह-संस्कार के बाद कुछ हिंदुओं ने उनके घर पर हमला करके सोने के ज़ेवर, कैश और अन्य कीमती सामान लूट लिया. उन्होंने ठाकुर और चौहान समेत 28 हिंदुओं के नाम भी दिए.

> मुसलमानों की शिकायतों को पुलिस ने दर्ज नहीं किया. एक मुसलमान ने अदालत में अर्ज़ी देकर 44 हिंदुओं के ख़िलाफ़ एफ़आईआर की मांग की. लेकिन पुलिस ने न उनसे पूछताछ की और न ही उन्हें गिरफ़्तार किया

शकीरा बेगम ने अपने पत्र की कॉपी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाइक, जो बीजेपी नेता रहे हैं, और पुलिस महानिदेशक को भेजी.

इनमें से किसी ने भी शकीरा बेगम के पत्र का जवाब नहीं दिया. पुलिस ने न तो शकीरा बेगम को कभी फ़ोन किया और न ही बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें या उन दो चश्मदीद गवाहों को बुलाया जिनका नाम शकीरा बेगम ने अपने पत्र में लिखा था.

13 मार्च को शमी अख़्तर नाम के एक शख़्स ने जो उसी इलाक़े में रहता है सीजेएम का दरवाज़ा खटखटाया और हिंसा के आरोप में 44 हिंदुओं के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने का आदेश देने की अपील की. इन 44 नामों में चंदन गुप्ता और विवेक गुप्ता के अलावा अनुकल्प चौहान और विशाल ठाकुर के भी नाम शामिल थे. 44 में से 21 नाम वही थे जिनका ज़िक्र शकीरा बेगम ने 8 फ़रवरी को एसएचओ रिपुदमन सिंह को लिखे पत्र में किया था.

सीजेएम ने पुलिस को आदेश दिया कि शमी अख़्तर की शिकायत को भी एफ़आईआर में शामिल करे और इसकी जाँच करे. लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया, जिसे अदालत के आदेश की अवमानना के रूप में देखा जाना चाहिए.

अनुकल्प चौहान की अजब दास्तान

जैसा कि ऊपर कहा है, जाँच अधिकारी तोमर ने सीडी में लिख दिया था कि अनुकल्प चौहान, विशाल ठाकुर और सौरभ पाल 26 जनवरी से ग़ायब हैं. लेकिन 27 जनवरी को चंदन की शवयात्र में कंधा देने वालों में चौहान सबसे आगे-आगे चल रहा था.

इससे पिछली, यानी हिंसा की रात, चौहान ने यूट्यूब[8] पर 6 मिनट 43 सेकेंड के एक ज़हरीले भाषण का वीडियो जारी किया. इसमें उसने कासगंज के मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा की धमकी देते हुए कहा: “इस शहर में जो रहेगा वो राधे-राधे कहेगा.”

इसी वीडियो में चौहान ने मोटरसाइकिल रैली में अपनी भूमिका साफ़ करते हुए कहा ये ग़लत है कि “एबीवीपी” के साथ कोई गुट भिड़ गया था. "यह मेरी रैली थी.”[9]

चंदन के अंतिम संस्कार के बाद हिंसा फिर भड़की और चार दिन जारी रही. लेकिन तोमर ने उस हिंसा में चौहान की भूमिका की कोई जाँच नहीं की.

चौंकाने वाली बात है कि एक दूसरे पुलिस वाले ने चौहान को चंदन की मौत का चश्मदीद गवाह मानते हुए उससे उसके घर पर 1 फ़रवरी को पूछताछ की. फिर भी तोमर का कहना था कि चौहान लापता है.

दो बार तोमर ने सीजेएम को लिखा कि चौहान, ठाकुर और पाल के ख़िलाफ़ ग़ैर-ज़मानती वारंट जारी कर उन्हें भगोड़ा घोषित करें. सीजेएम ने इस आग्रह को नज़रअंदाज़ कर दिया जबकि मुस्लिम अभियुक्तों के ख़िलाफ़ ये आदेश जारी कर दिए.

चंदन की शवयात्रा में “फ़रार” चौहान ने खुलेआम कंधा दिया था

अगले डेढ़ महीने तक चौहान, ठाकुर और पाल के बारे में तोमर ख़ामोश रहे. 29 मार्च को जब ठाकुर और छह हिंदू गिरफ़्तार हुए तो तोमर ने केस डायरी में चौहान और पाल का नाम फिर लिया.

घटना के दो महीने बाद एक नए “चश्मदीद” गवाह ने दावा किया कि हिंसा शुरू होने से पहले ही चौहान वहाँ से भाग गया था

यहीं से तोमर ने पलटी मारी और ये साबित करने की कोशिशें शुरू कर दीं कि अनुकल्प चौहान हिंसा में शामिल नहीं था.

29 मार्च को विशाल ठाकुर की गिरफ़्तारी के तीन दिन बाद तोमर ने एक मुस्लिम “चश्मदीद” गवाह से पूछा कि क्या उसने चौहान को गोलीबारी, आगज़नी और पथराव करते देखा था. गवाह ने कहा: “अनुकल्प चौहान को मैंने फ़ायरिंग करते, आगज़नी करते, पथराव करते नहीं देखा था... मौक़े से मेरे सामने [वो] भाग गया था.”

तोमर ने ये नहीं लिखा कि आख़िर ये चश्मदीद गवाह दो महीने तक सामने क्यों नहीं आया था. न ही तोमर ने ये बताया कि रैली में आए तमाम हिंदुओं में से सिर्फ़ चौहान के बारे में ही तोमर ने उस कथित गवाह से सवाल क्यों किए.

ये भी हैरानी की बात है कि गवाह ने सैंकड़ों की दंगाई भीड़ में चौहान को भागते देखा और इस बात को दो महीने याद भी रखा.

---

[8] (लिंक: https://www.youtube.com/watch?v=hSVoUXFoHQw)

[9] अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) बीजेपी का छात्र संगठन है

फिर भी तोमर ने इस “चश्मदीद” गवाह के बयान का यक़ीन किया और केस डायरी में अभियुक्तों और भगोड़ों की सूची से, और अदालत में दी ग़ैर-ज़मानती वारंट और भगोड़ा घोषित करने की अर्ज़ी से चौहान का नाम हटा दिया.

ज़ाहिर है चौहान की क़िस्मत पलट रही थी. 9 अप्रैल को जब एक और मुस्लिम अभियुक्त गिरफ़्तार हुआ तो उसके बयान में लिखे 11 हिंदुओं के नामों में चौहान का नाम नहीं था. यही इशारा था चौहान के लिए अदालत में आत्मसमर्पण करने का. जैसा कि पहले बताया जा चुका है, आत्मसमर्पण के अगले दिन ही चौहान को सीजेएम की अदालत से ज़मानत भी मिल गई थी.

सीजेएम ने ज़मानत के अपने फ़ैसले में लिखा कि पुलिस रिपोर्ट और केस डायरी दोनों के मुताबिक़ आगज़नी (IPC-436) और हत्या की कोशिश (IPC-307) में चौहान की कोई भूमिका नहीं थी.

लेकिन केस डायरी में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है. अगर पुलिस स्टेशन ने ऐसी कोई जानकारी सीजेएम को दी भी थी तो उसका केस डायरी में ज़िक्र नहीं है.

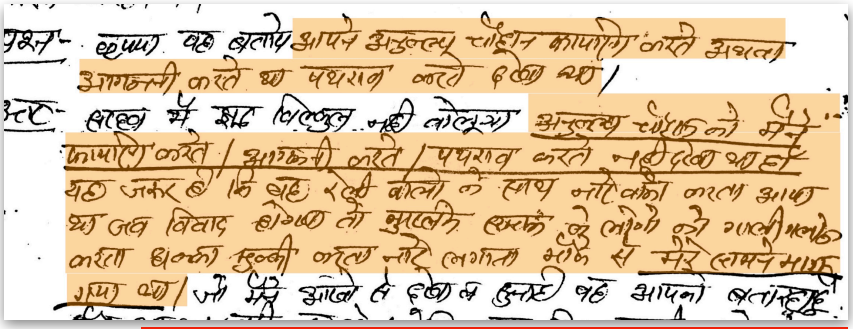

चौहान को बचाने के मक़सद से जाँच अधिकारी तोमर ने पलटी मार दी

चौहान के पिता उन दिनों कासगंज अदालत के ज़िला जज की अदालत में क्लर्क थे

ख़तरनाक हथियार के साथ दंगा करने (IPC-148) का तीसरा आरोप सीजेएम ने ख़ुद से ही चौहान पर से हटा दिया. ज्ञात रहे कि चौहान के पिता उस समय ज़िला जज की अदालत में क्लर्क थे.

इस दौरान तोमर चौहान को बचाने के लिए जुटे रहे. 16 अप्रैल को दो नए “चश्मदीद" गवाहों ने, जिनमें एक हिंदू है, तोमर को बताया कि उन्होंने चौहान और पाल को हिंसा से पहले भागते हुए देखा था.

उस रोज़ तोमर ने केस डायरी में लिखा कि चौहान और पाल पर आईपीसी की धाराएं 436 (आगज़नी) और धारा 307 (हत्या की कोशिश) “प्रभावित नहीं हो रही है”.

दो दिन बाद गिरफ़्तार होने वाले दो अभियुक्तों ने भी, जिनमें एक हिंदू है, तोमर को बताया कि उन्होंने चौहान और पाल को हिंसा फैलने से पहले घटनास्थल से चले जाते हुए देखा था.

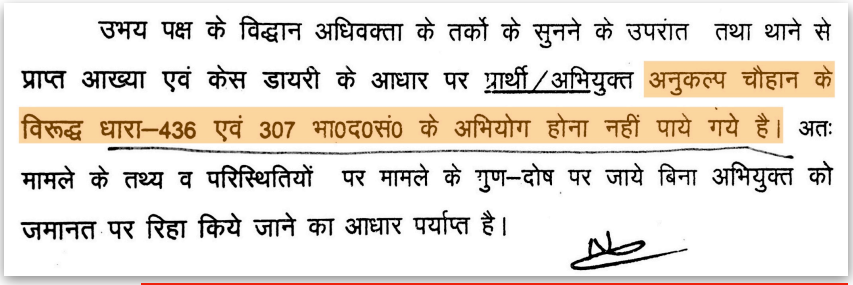

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के सुनने के उपरांत तथा थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त अनुकल्प चौहान के विरूद्ध धारा–436 एवं 307 भा0द0सं0 के अभियोग होना नहीं पाये गये है। अतः मामले के तथ्य व परिस्थितियों पर मामले के गुण–दोष पर जाये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

सीजेएम ने केस डायरी की जिस एंट्री का हवाला दिया वो उसमें है ही नहीं

23 अप्रैल को तोमर ने केस डायरी में लिखा जाँच से पता चला है कि चौहान और पाल हथियार के साथ दंगा करने में, आगज़नी में, और हत्या की कोशिश में शामिल नहीं थे. इसलिए, तोमर ने लिखा, इनके ख़िलाफ़ लगाई गई आईपीसी की धाराएँ 148 (ख़तरनाक हथियारों से लैस होकर दंगा करना), 307 (हत्या की कोशिश) और 436 (आगज़नी) को वापस लिया जा रहा है.

ये तोमर की जाँच की आख़िरी छानबीन थी.

इसके तीन दिन बाद, 26 अप्रैल को, तोमर ने अदालत में इस केस से जुड़ी फ़ाइनल रिपोर्ट/चार्जशीट दाख़िल कर दी.

दूसरा एफ़आईआर: घटनाक्रम

घटना से जुड़ा दूसरा एफ़आईआर (नं. 60/18) मृतक चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता की शिकायत पर दर्ज किया गया. पुलिस को दिए बयान में उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस पर जब उनके बेटों, चंदन और विवेक, की रैली तहसील रोड नाम की जगह पहुँची तो "हथियारों से लैस योजनाबद्ध तरीक़े से पहले से घात लगाए" कई मुसलमान वहाँ मौजूद थे.

सुशील गुप्ता ने कहा कि हाथों में तिरंगा लिए हिंदू लड़के "भारत माता की जय" और "वंदे मातरम्" का नारा लगा रहे थे. तब मुसलमानों ने उनके तिरंगे छीनकर ज़मीन पर फेंक दिए और "पाकिस्तान ज़िंदाबाद" और "हिन्दुस्तान मुर्दाबाद" चिल्लाने लगे.

सुशील गुप्ता ने कहा कि मुसलमानों ने बंदूकें तान कर हिंदुओं से "पाकिस्तान ज़िंदाबाद" के नारे लगाने को कहा.

चंदन ने आपत्ति जताई तो मुसलमानों ने पत्थरबाज़ी की और गोलियाँ चलानी शुरू कर दी. सुशील गुप्ता ने कहा कि तभी सलीम ने चंदन को गोली मार दी.

विवेक इत्यादि चंदन को पहले पुलिस स्टेशन ले गए और फिर अस्पताल, जहाँ उसे "मृत घोषित कर दिया" गया.

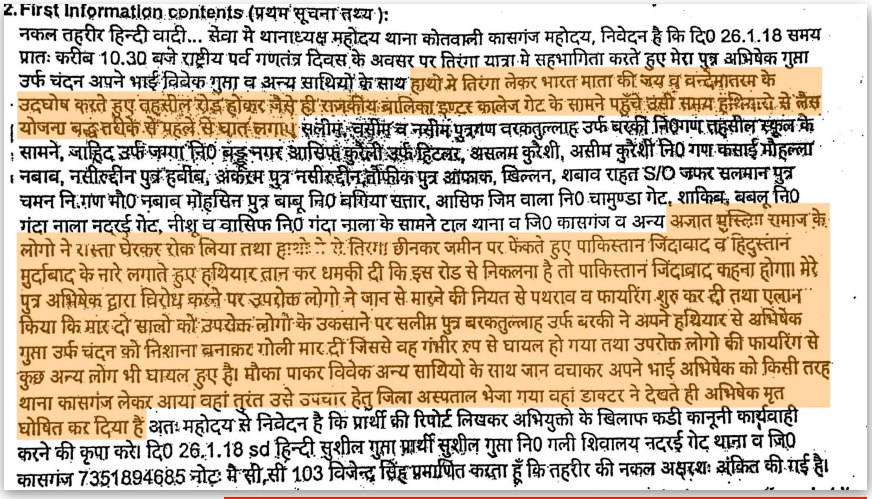

2. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):
नकल तहरीर हिन्दी वादी... सेवा मे थानाध्यक्ष महोदय थाना कोतवाली कासगंज महोदय, निवेदन है कि दि0 26.1.18 समय प्रातः करीब 10.30 बजे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा मे सहभागिता करते हुए मेरा पुत्र अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन अपने भाई विवेक गुप्ता व अन्य साथियों के साथ हाथो मे तिरंगा लेकर भारत माता की जय व वन्देमातरम के उद्‌घोष करते हुए तहसील रोड होकर जैसे ही राजकीय बालिका इण्टर कालेज गेट के सामने पहुँचे उसी समय हथियारो से लैस योजना बद्ध तरीके से पहले से घात लगाए सलीम, वसीम व नसीम पुत्रगण वरकतुल्लाह उर्फ बरकी नि0गण तहसील स्कूल के सामने, जाहिद उर्फ जग्गा नि0 बड्डूनगर आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी नि0 गण कसाई मौहल्ला नबाब, नसीरुद्दीन पुत्र हबीब, अकरम पुत्र नसीरुद्दीन, तौफीक पुत्र आफाक, खिल्लन, शबाव राहत S/O जफर सलमान पुत्र चमन नि.गण मौ0 नबाब मोहसिन पुत्र बाबू नि0 बगिया सत्तार, आसिफ जिम वाला नि0 चामुण्डा गेट, शाकिब, बबलू नि0 गंदा नाला नदरई गेट, नीशू व वासिफ नि0 गंदा नाला के सामने टाल थाना व जि0 कासगंज व अन्य अज्ञात मुस्लिम समाज के लोगो ने रास्ता घेरकर रोक लिया तथा हाथो से तिरंगा छीनकर जमीन पर फेंकते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद व हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए हथियार तान कर धमकी दी कि इस रोड से निकलना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहना होगा। मेरे पुत्र अभिषेक द्वारा विरोध करने पर उपरोक्त लोगो ने जान से मारने की नियत से पथराव व फायरिंग शुरु कर दी तथा एलान किया कि मार दो सालो को उपरोक्त लोगों के उकसाने पर सलीम पुत्र बरकतुल्लाह उर्फ बरकी ने अपने हथियार से अभिषेक गुप्ता उर्फ चंदन को निशाना बनाकर गोली मार दी जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया तथा उपरोक्त लोगो की फायरिंग से कुछ अन्य लोग भी घायल हुए है। मौका पाकर विवेक अन्य साथियो के साथ जान बचाकर अपने भाई अभिषेक को किसी तरह थाना कासगंज लेकर आया वहां तुरंत उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया वहां डाक्टर ने देखते ही अभिषेक मृत घोषित कर दिया हैं अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी की रिपोर्ट लिखकर अभियुक्तो के खिलाफ कडी कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। दि0 26.1.18 sd हिन्दी सुशील गुप्ता प्रार्थी सुशील गुप्ता नि0 गली शिवालय नदरई गेट थाना व जि0 कासगंज 7351894685 नोट: मै सी.सी 103 विजेन्द्र सिंह प्रमाणित करता हूँ कि तहरीर की नकल अक्षरशः अंकित की गई है।

सुशील गुप्ता के बयान और पहले एफ़आईआर में काफ़ी विरोधाभास है

दूसरा एफ़आईआर: 10 बड़ी ग़लतियाँ

घटना की शुरुआत का पता नहीं: पहले एफ़आईआर के मुताबिक़ हिंसा की शुरुआत बिलराम गेट चौराहे पर हुई. कई हिंदुओं ने पुलिस को बाद में बताया कि फ़ायरिंग से बचने के लिए वे बिलराम गेट चौराहे से 300 मीटर दूर तहसील रोड की ओर भागे[10]. लेकिन शिकायतकर्ता सुशील गुप्ता के बयान के मुताबिक़ तहसील रोड पहुँचने से पहले रैली में कोई रुकावट नहीं पड़ी थी.

अकल्पनीय क्रम: मुश्किल लगता है कि गोलियों से बचकर भाग रहा कोई व्यक्ति कुछ सेकेंड बाद आराम से झंडा लहराते हुए नारे लगाएगा. ये भी यक़ीन करना मुश्किल है कि जहाँ बिलराम गेट चौराहे पर मुसलमान गोली चला रहे थे महज़ 300 मीटर दूर तहसील रोड पर घात लगाए बैठे मुसलमानों ने पहले कहासुनी की, फिर नारे लगाए गए, फिर हिंदुओं से तिरंगा छीनकर ज़मीन पर फेंका, और फिर गोली चलाई.

गोली लगने से कुछ मिनट पहले रैली में चंदन गुप्ता मोटरसाइकिल चलाते हुए

एफ़आईआर में देरी: गोली लगने के बाद जब चंदन गुप्ता को पुलिस स्टेशन लाया गया उस समय एफ़आईआर क्यों नहीं दर्ज किया गया? सुशील गुप्ता ने एफ़आईआर दर्ज कराने के लिए 11 घंटे क्यों इंतज़ार किया? बिना एफ़आईआर दर्ज हुए चंदन गुप्ता का पोस्ट-मार्टम कैसे हो गया?

[10] देखें पृष्ठ 5 पर घटनास्थल का पुलिस नक़्शा

ग़लत समय: दूसरे एफ़आईआर में लिखा गया कि चंदन गुप्ता की मौत की पहली ख़बर रात बारह बजे के बाद, यानी 27 फ़रवरी की सुबह 12:17 बजे, कासगंज थाने पहुँची. लेकिन थाने की जीडी में दर्ज है कि अस्पताल के एक वॉर्ड ब्वॉय ने चंदन की मौत की जानकारी देने वाली अस्पताल की मेमो रिपोर्ट को 26 जनवरी को दोपहर 1:15 बजे थाने में लाकर सौंप दिया था.

दूसरा एफ़आईआर क्यों: चंदन की मौत की सूचना थाने में दिन में मिल चुकी थी तो उसे पहले एफ़आईआर में ही लिखा जाना चाहिए था. दूसरे एफ़आईआर में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी.

ग़ैर-हाज़िर शिकायतकर्ता: चंदन के पिता सुशील गुप्ता रैली में नहीं थे. उन्होंने दूसरे बेटे विवेक के हवाले से बयान देकर एफ़आईआर दर्ज करवाया. विवेक रैली में शामिल था. फिर विवेक ने क्यों नहीं एफ़आईआर दर्ज कराया?

नामज़द अभियुक्त: दूसरे एफ़आईआर में सुशील गुप्ता ने 20 मुसलमानों के नाम दिए. उनको ये नाम विवेक और अन्य लड़कों ने दिए. विवेक इत्यादि ने ये नाम तब क्यों नहीं पुलिस को दिए जब वे दिन में चंदन को थाने लेकर आए थे?

अनुचित जाँच अधिकारी: दूसरे एफ़आईआर के जाँच अधिकारी एसएचओ रिपुदमन सिंह हैं. जबकि पहले एफ़आईआर में वो शिकायतकर्ता और चश्मदीद गवाह हैं. इस प्रकार एसएचओ सिंह एक ही वारदात में शिकायतकर्ता, जाँच अधिकारी और चश्मदीद गवाह बन गए हैं.

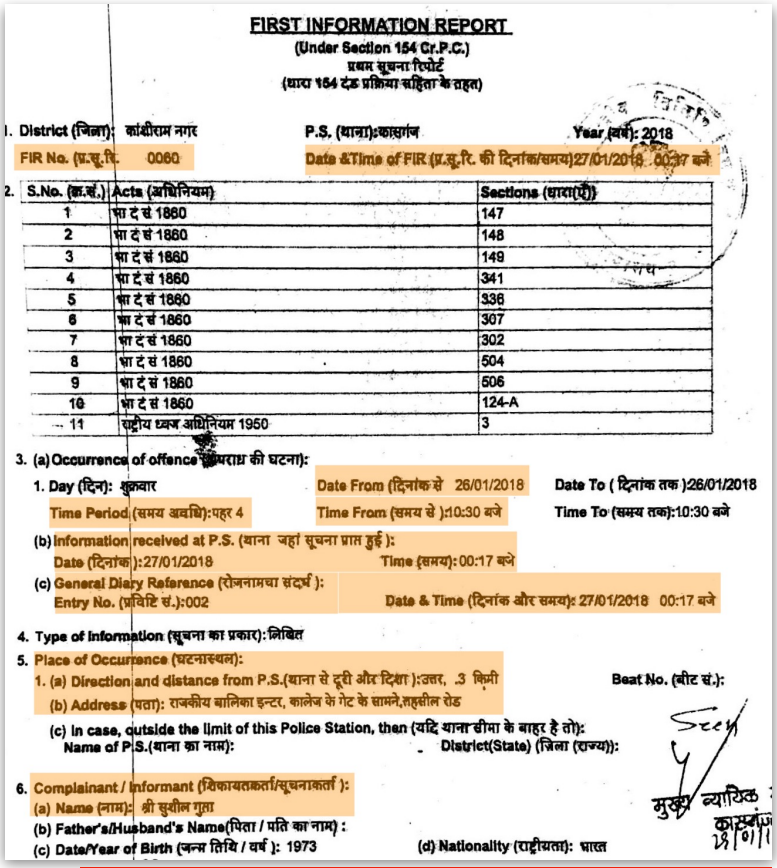

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): कांशीराम नगर P.S. (थाना):कासगंज Year (वर्ष): 2018
FIR No. (प्र.सू.रि. 0060 Date &Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय)27/01/2018 00:17 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	147
2	भा द सं 1860	148
3	भा द सं 1860	149
4	भा द सं 1860	341
5	भा द सं 1860	336
6	भा द सं 1860	307
7	भा द सं 1860	302
8	भा द सं 1860	504
9	भा द सं 1860	506
10	भा द सं 1860	124-A
11	राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम 1950	3

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): शुक्रवार Date From (दिनांक से 26/01/2018 Date To (दिनांक तक)26/01/2018
Time Period (समय अवधि):पहर 4 Time From (समय से):10:30 बजे Time To (समय तक):10:30 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक):27/01/2018 Time (समय): 00:17 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.):002 Date & Time (दिनांक और समय): 27/01/2018 00:17 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):उत्तर, .3 किमी Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): राजकीय बालिका इन्टर, कालेज के गेट के सामने,तहसील रोड
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): श्री सुशील गुप्ता
(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1973 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

मुख्य न्यायिक

पहले और दूसरे एफ़आईआर के तमाम दावे एक दूसरे के ख़िलाफ़ जाते हैं

असत्यापित चोट: सुशील गुप्ता ने कहा रैली के अन्य लड़कों को भी गोलीबा री में चोटें आईं. लेकिन उस सुबह एक ही और शख़्स को गोली लगी थी. वो मुसलमान है और उसने घटनास्थल कहीं और बताया है.

दूसरे एफ़आईआर में लिखा गया कि चंदन की मृत्य की ख़बर थाने पर देर रात पहुँची. लेकिन ये झूठ है. दरअसल चंदन की मृत्यु का मेमो अस्पताल से दिन में 1.15 बजे ही थाने आ चुका था और थाने की जीडी में दर्ज हो चुका था

चंदन को उठाकर ले जाना: विवेक और रैली के अन्य लड़के घायल चंदन को पुलिस स्टेशन लेकर गए. रैली के ही लड़कों ने बाद में बयान दिए कि चंदन को गोली लगने से कुछ मिनट पहले वो बिलराम गेट चौराहे से थाने आना चाह रहे थे मगर उस रोड पर मुसलमान गोली चला रहे थे इसलिए उन्हें बीच में तहसील रोड भागना पड़ा था. ऐसे हाल में तहसील रोड से ये हिंदू लड़के कैसे गोलियों से बचते हुए चंदन को वापस थाने की ओर ले जा सके थे?

दूसरे एफ़आईआर और उसकी जाँच की पड़ताल करने पर जवाब कम मिलते हैं और सवाल अधिक खड़े हो जाते हैं. अलग-अलग देखा जाए तो दोनों एफ़आईआर में ढेरों कमियाँ मिलती हैं.

लेकिन अगर दोनों एफ़आईआर को एक साथ जोड़ कर पढ़ा जाए तो पुलिस द्वारा बनाई कहानी बिलकुल ही ढह कर चूर हो जाती है.

पुलिस की कहानी में अंतर्विरोध

पुलिस की मूल कहानी है कि हिंसा बिलराम गेट चौराहे[11] से शुरू हुई. लेकिन शुरू से ही पुलिसवाले इसके उलटा बयान देते रहे. कई चश्मदीद पुलिसवालों ने कहा कि दोनों गुटों के बिलराम गेट चौराहे पहुँचने से पहले ही हिंसा और फ़ायरिंग शुरू हो चुकी थी.

किसी के हाथ तिरंगा झंडा और किसी के हाथ तमंचा — कौन हैं ये लोग?

पहले एफ़आईआर के मुताबिक़ बिलराम गेट चौराहे पर जमा हिंदू मुसलमानों पर "गलियों के अंदर से" रैली रोकने का आरोप लगा रहे थे.

उसके मुताबिक़ जिस समय पुलिस हिंदुओं को शांत करने की कोशिश कर रही थी मुसलमान गलियों से पथराव और फ़ायरिंग करने लगे.

कुछ और पुलिसवालों ने बयान दिए कि हिंसा शुरू होने से पहले हिंदू और मुसलमान, दोनों ही बिलराम गेट चौराहे पर मौजूद थे और पुलिस ने दोनों ही को शांत करने की कोशिश की थी.

पहले एफ़आईआर की जाँच के दौरान किसी पुलिसवाले ने नहीं कहा कि बिलराम गेट चौराहे पर फ़ायरिंग से बचने के लिए हिंदू लड़के तहसील रोड भागे या वहाँ सलीम ने चंदन को गोली मारी.

29 जनवरी[12] को दिए अपने बयान में सिपाही बलबीर सिंह ने दो पारस्परिक विरोधी दावे किए. पहला उसने कहा कि फ़ायरिंग और पथराव बिलराम गेट चौराहे पर झगड़े के बाद शुरू हुए.

लेकिन उसी बयान में उसने ये भी कहा कि फ़ायरिंग और पथराव पहले शुरू हो चुके थे जिसके चलते हिंदू बिलराम गेट चौराहे तक भागे और मुसलमान लोग गोली चलाते उनके पीछे आए.

पुलिसवालों के अलावा अन्य गवाहों के बयानों में भी घटनाक्रम को लेकर बहुत सारी पारस्परिक विरोधी बातें उभर कर आई हैं

बलबीर सिंह के दोनों दावों के मुताबिक़ हिंदू और मुसलमान दोनों गोलियाँ चला रहे थे. सिपाही बलबीर सिंह ने ये नहीं बताया कि किसने पहले गोली चलाई.

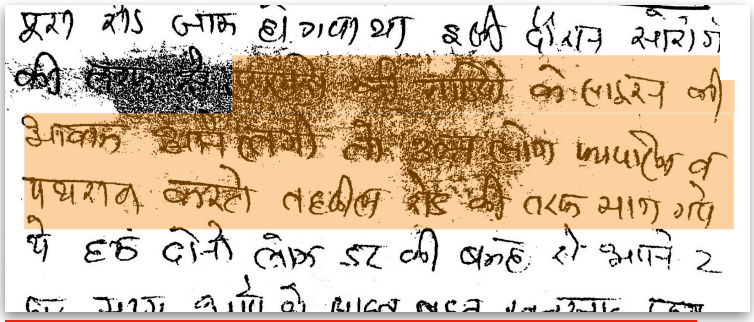

"स्वतंत्र" गवाह लखनपाल ने कहा पुलिस आने से पहले मुसलमान भाग गए थे

लखन प्रताप नाम के एक "स्वतंत्र" गवाह ने पुलिस को बयान दिया कि सुबह 9:45 बजे वो जब गणतंत्र दिवस समारोह देखने के लिए बिलराम गेट चौराहे पर पहुँचा तो वहाँ हिंसा पहले से जारी थी.

प्रताप ने कहा मुसलमान जबरदस्त पथराव कर रहे थे और गाड़ियों को आग लगा रहे थे.

प्रताप ने कहा: "पुलिस की गाड़ियों के साइरन की आवाज़ आने लगी तो उक्त लोग फ़ायरिंग व पथराव करते तहसील रोड की तरफ़ भाग गए."

---

[11] देखें पृष्ठ 5 पर घटनास्थल का पुलिस नक़्शा

[12] देखें पृष्ठ 9, पैरा 3

लेकिन अगर मुसलमान पुलिस के आने से पहले ही तहसील रोड की तरफ़ भाग गए थे तो पुलिस को वे बिलराम गेट चौराहे पर कैसे मिले थे? और अगर मुसलमान तहसील रोड की तरफ़ भागते हुए फ़ायरिंग कर रहे थे तो फिर हिंदू भी उस तरफ़ क्यों भागे?

लखन प्रताप के एक साथी, "स्वतंत्र" गवाह अर्पित गुप्ता ने बताया कि कुछ मुसलमान तहसील रोड की उलटी दिशा में खेड़िया मोहल्ला[13] को भागकर थाने के पीछे एक मस्जिद में छुप गए थे.

एक "स्वतंत्र" गवाह के मुताबिक़ पुलिस साइरन सुन कर मुसलमान भाग गए थे. लेकिन पुलिस के मुताबिक़ जब वो पहुँची तो मुसलमान घटनास्थल पर ही थे

अगर ये सही है तो फिर पुलिस ने मस्जिद को घेरकर उन्हें बाहर क्यों नहीं निकला? अर्पित गुप्ता ने ये भी बताया कि उन्हीं मुसलमानों ने उस मस्जिद में आगज़नी की ताकि हिंदुओं पर उसका आरोप लगाया जा सके. हालाँकि अर्पित गुप्ता ने स्वीकार किया कि मस्जिद की आगज़नी उन्होंने ख़ुद नहीं देखा बल्कि सुनी-सुनाई जानकारी के आधार पर पुलिस को बताया है.

आख़िर क्या हुआ था तहसील रोड पर?

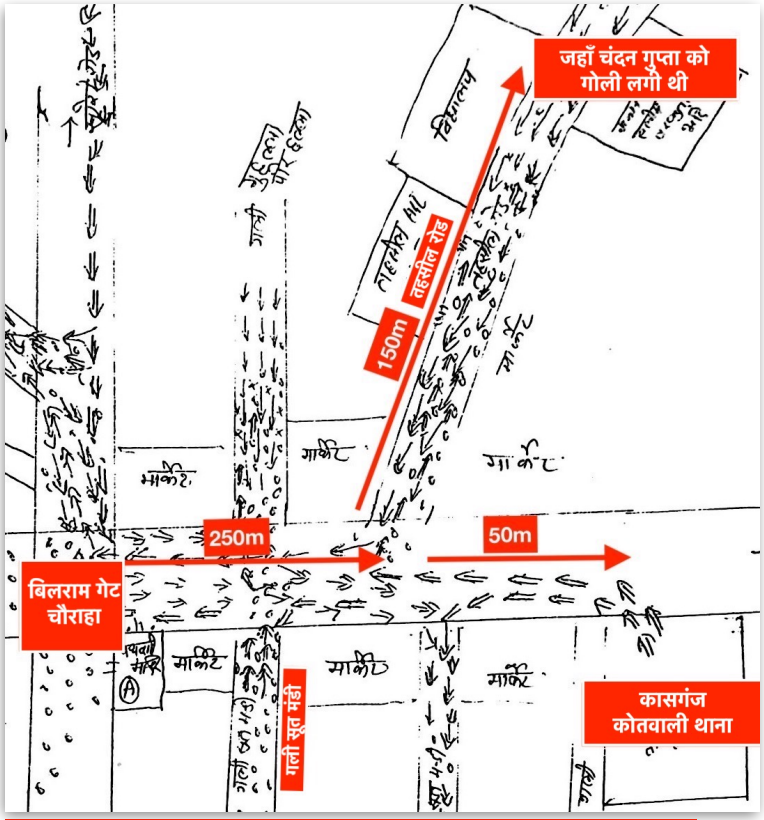

अगर वाक़ई तहसील रोड पर कुछ हुआ तो वो एक अनबूझी पहेली ही है

हिंदुओं का कहना है कि हिंसा होने पर वे बिलराम गेट चौराहे से 300 मीटर दूर स्थित थाने को भागे. मगर क्योंकि मुसलमान हर ओर से गोली चला रहे थे मजबूर होकर ये हिंदू थाने से पचास मीटर पहले मुड़ कर तहसील रोड भाग गए.

लेकिन दूसरे एफ़आईआर में बिलराम गेट चौराहे पर किसी हिंसा का कोई ज़िक्र ही नहीं है. बल्कि उसके मुताबिक़ तिरंगा लिए नारे लगाते हुए रैली के लोग सामान्य रूप से तहसील रोड पहुँचे थे.

जिस किसी ने दावा किया कि बिलराम गेट चौराहे पर हिंसा हुई उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि तहसील रोड की हिंसा उसके बाद घटा.

लेकिन सिपाही बलबीर सिंह[14] के मुताबिक़ जब वो बिलराम गेट चौराहे पहुँचा तो वहाँ दोनों गुट तहसील रोड की घटना के बारे में झगड़ रहे थे.

लेकिन अगर तहसील रोड की हिंसा तब तक नहीं हुई थी तो उसके बारे में झगड़ा कैसे कर रहे थे?

हिंदुओं ने ये भी कहा कि वे बिलराम गेट चौराहे से थाने की तरफ़ भागे थे तो मुसलमान उनपर दाहिनी तरफ़ से गली सूत मंडी[15] की ओर से गोलियाँ चला रहे थे. लिहाज़ा इन हिंदुओं को मजबूरन बाईं तरफ़ तहसील रोड की तरफ़ मुड़ना पड़ा था.

---

[13] देखें पृष्ठ 5 पर घटनास्थल का पुलिस नक़्शा

[14] देखें पृष्ठ 9, पैरा 3

[15] देखें इसी पृष्ठ पर दिया नक़्शा

गली सूत मंडी मुख्य रूप से हिंदुओं का मोहल्ला है. तहसील रोड, जिधर ये हिंदू भागे थे, मुस्लिम-बाहुल मोहल्ला है. आख़िर कौन से मुसलमान हिंदुओं के इलाक़े से गोली चला रहे थे? और हिंदू लोग मुसलमानों के मुहल्ले की तरफ़ क्यों भागे थे?

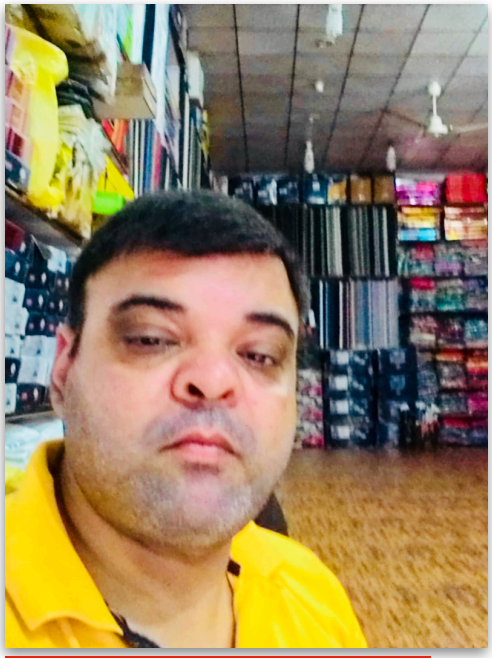

सलीम पर आरोप है उसने चंदन को गोली मारी

अधिकतर मुसलमान दोनों एफ़आईआर की चार्जशीटों में अभियुक्त हैं. इन मुसलमानों की कथित हिंसा के क्रम को लेकर भी विरोधाभास है.

अगर दोनों चार्जशीटों को जोड़ कर देखा जाए तो घटनाक्रम ये बनता है कि पहले इन मुसलमानों ने बिलराम गेट चौराहे पर हिंदुओं पर हमला किया; जिससे बचने के लिए ये हिंदू तहसील रोड को भागे; लेकिन इन हिंदुओं को ओवरटेक करके वही मुसलमान इन हिंदुओं से पहले तहसील रोड पहुँच गए; जहाँ पर इन मुसलमानों ने इन्ही हिंदुओं पर एक बार फिर हमला कर दिया.[16]

पुलिसवालों ने भी लगातार यही कहा कि बिलराम गेट चौराहे पर हमला करने के बाद ये मुसलमान तहसील रोड स्थित सलीम के घर भागे जिसके बाहर उन्होंने फिर हिंदुओं पर हमला किया और सलीम ने चंदन को गोली मार दी.

एक बात ये भी है कि तहसील रोड पर मुसलमानों द्वारा की गई कथित हिंसा की न कोई तस्वीर है और न ही कोई वीडियो सामने आया है.

पुलिस के मुताबिक़ जिस गोली से चंदन की हत्या हुई उसका खोखा खोजने पर नहीं मिला.

मेन रोड से मुड़ने के बाद तहसील रोड पर सलीम का घर 150 मीटर दूर है. इस रास्ते पर आमतौर पर काफ़ी हलचल रहती है. इसके बावजूद पुलिस को कोई "स्वतंत्र" गवाह नहीं मिला.

चार्जशीट में पुलिस ने इस घटना के चार गवाहों के नाम दिए. इनमें एक मुसलमान है. लेकिन इन चारों गवाहों ने अपने-अपने बयानों में ये माना है कि उन्होंने घटना को देखा नहीं बल्कि उसके बारे में दूसरों से सुना है जिसे उन्होंने पुलिस को बताया है.

अगर गोली चलाते मुसलमानों से बचने के लिए रैली के हिंदू लड़के उनसे दूर भाग रहे थे, तो फिर आगे जाकर इन हिंदुओं को वही मुसलमान फिर गोली चलाते हुए दोबारा कैसे मिल गए?

विवेक गुप्ता के असंगत बयान

सुशील गुप्ता ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि जब रैली के लड़के तहसील रोड पहुँचे तो उनके हाथों में तिरंगा था और वे देशभक्ति से जुड़े नारे लगा रहे थे. लेकिन विवेक गुप्ता ने 30 जनवरी को दिए बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा. बल्कि उसने ये कहाकि हिंदुओं पर चारों तरफ़ से फ़ायरिंग हो रही थी इसलिए वे ख़ुद को बचाने के लिए तहसील रोड की तरफ़ भागे थे.

दूसरे एफ़आईआर में लिखा गया कि तहसील रोड पर जब हिंदू पहुँचे तो मुसलमानों ने उन हिंदुओं के हाथों से तिरंगा छीन कर ज़मीन पर फेंक दिया और हिंदुओं से कहा कि वो "पाकिस्तान ज़िंदाबाद" और "हिंदुस्तान मुर्दाबाद" के नारे लगाएँ. और जब हिंदुओं ने ऐसा करने से मना कर दिया तो मुसलमानों ने उनपर फ़ायरिंग शुरू कर दी और सलीम ने चंदन को गोली मार दी.[17]

---

[16] देखें पृष्ठ 16 पर दिया नक़्शा

[17] देखें पृष्ठ 13, पैरा 2-4

लेकिन विवेक ने बयान दिया कि जब हिंदू तहसील रोड पहुँचे तो मुसलमानों ने उन्हें गालियाँ दीं और सलीम ने चंदन को गोली मार दी. इसके बाद मुसलमानों ने “हिंदुस्तान मुर्दाबाद” और “पाकिस्तान ज़िंदाबाद” के नारे लगाए और हिंदुओं से तिरंगा छीना.

सुशील गुप्ता के मुताबिक़ दूसरे एफ़आईआर में उनके द्वारा लिखाए 20 मुसलमानों के नाम उन्हें विवेक ने दिए थे क्योंकि सुशील ख़ुद वहाँ मौजूद नहीं थे. लेकिन 30 जनवरी को विवेक ने अपने बयान में 20 नहीं 29 मुसलमानों के नाम लिए. विवेक ने बयान में कहा: “[इनको] मैं अच्छी तरह से तथा मेरे साथी भी पूर्व से जानते व पहचानते हैं. इन लोगों का प्रतिदिन बाज़ार में आना-जाना रहता है. मैं एम.आर. का काम करता हूँ इस वजह [से] मेरी विशेष रूप से बाज़ार के लोगों से जान पहचान रहती है.”

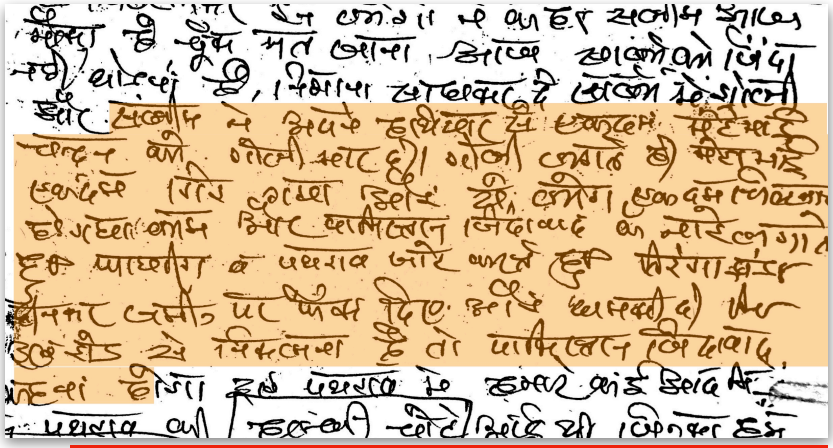

पहले क्या हुआ? मुसलमानों ने चंदन को गोली मारी गई या पहले नारेबाज़ी की?

घटना के लगभग दो महीने बाद 19 मार्च को विवेक ने 30वें मुसलमान का नाम भी पुलिस को बताया. लेकिन ये नहीं बताया कि इसका नाम पहले क्यों नहीं लिया था. न ही पुलिस ने ये जानने की कोशिश की.

ये अजीब बात है कि अगर तहसील रोड पर मौजूद मुसलमानों को विवेक गुप्ता इतनी अच्छी तरह से पहचानता था तो उसने अपने पिता को हिंसा की रात सिर्फ़ 20 मुसलमानों के ही नाम क्यों दिए. पुलिस ने भी नहीं जानना चाहा कि आख़िर विवेक ने बाक़ी 10 नाम क्यों नहीं बताए थे.

अजीब ये भी है कि जबकि चंदन की हत्या वाली चार्जशीट में 36 गवाहों की सूची में विवेक का नाम दूसरे नंबर पर है — पहले नंबर पर उसके पिता सुशील का नाम है — पहले एफ़आईआर की चार्जशीट में गवाहों की सूची में विवेक गुप्ता का नाम ही नहीं है.

सुशील गुप्ता ने कहा कि मुसलमानों ने पहले नारे लगाए फिर चंदन को गोली मारी. विवेक गुप्ता ने कहा कि पहले सलीम ने चंदन को गोली मारी और फिर मुसलमानों ने नारे लगाए

पहले एफ़आईआर के जाँच अधिकारी तोमर ने विवेक से बाक़ायदा 9 फ़रवरी को पूछताछ की थी. और विवेक गुप्ता ने तोमर को दिए उस बयान में बिलराम गेट चौराहे से पहले की, और बिलराम गेट चौराहे पर हुई, कथित हिंसा का सजीव विवरण तक दिया था.

इसी तरह जबकि सुशील गुप्ता ने अपने बयान में कहा था कि चंदन के अलावा दूसरे लड़कों को भी गोली लगी थी, विवेक ने कहा कि रैली के दूसरे हिंदुओं को हिंसा में मामूली चोटें ही आई थीं.

ये समझ से परे है कि दोनों एफ़आईआर के जाँच अधिकारियों ने विवेक को आरोपी के तौर पर क्यों नहीं संदेह के घेरे में रखा. जबकि कई पुलिस वाले और दूसरे स्वतंत्र गवाहों ने भी बयानों में जाँच अधिकारियों से कहा था कि उन्होंने मोटरसाइकिल रैली में शामिल हिंदुओं को हिंसा करते और गोलियाँ चलाते देखा था.

भारत के क़ानून के मुताबिक़ हिंसक भीड़ में शामिल हर व्यक्ति उस अपराध में बराबर का दोषी होता है भले ही किसी एक ने गोली चलाई हो या वार किया हो. यही वजह है कि चंदन गुप्ता की हत्या का आरोप सभी 24 मुसलमानों पर धारा 302 के तहत बराबर लगाया गया है जबकि चार्जशीट के मुताबिक़ सिर्फ़ सलीम ने कथित तौर पर चंदन पर गोली चलाई थी.

ध्यान देने की बात ये भी है कि आम लोगों द्वारा बनाए गए रैली के किसी भी वीडियो में विवेक गुप्ता कहीं नहीं दिखाई देता है.

तीसरी कहानी

तहसील रोड पर हुई हिंसा को लेकर जहाँ सुशील गुप्ता और विवेक गुप्ता के बयान असंगत हैं, वहीं पुलिस को दिए अनुकल्प चौहान के बयान से एक तीसरी ही कहानी सामने आती है.

जैसा कि ऊपर लिखा है, सुशील गुप्ता के मुताबिक़ मुसलमानों ने हिंदुओं से तिरंगा छीना, फिर उन्हें भारत-विरोधी नारे लगाने को कहा, और फिर सलीम ने चंदन को गोली मारी.

विवेक ने बयान दिया कि पहले मुसलमानों ने गोलीबारी की, जिसमें सलीम ने चंदन को गोली मारी, फिर तिरंगा छीना और नारे लगाए.

लेकिन 1 फ़रवरी को दिए बयान में चौहान ने कहा कि मुसलमानों ने पहले गोली चलाईं, फिर भारत-विरोधी और पाकिस्तान-समर्थक नारे लगाए और हिंदुओं को भी ऐसे नारे लगाने को कहा, और जब हिंदुओं ने ऐसा करने से मना किया तो सलीम ने चंदन को गोली मार दी.

उसी रोज़ सौरभ पाल ने भी यही बयान दिया. चंदन की मौत की चार्जशीट में चौहान और पाल क्रमश: गवाह नंबर 3 और 4 हैं. पहले एफ़आईआर की चार्जशीट में ये दोनों अभियुक्त बनाए गए हैं.

दो रोज़ बाद, 3 फ़रवरी को, मोटरसाइकिल रैली में शामिल प्रतीक मालू और विवेक माहेश्वरी नाम के दो अन्य लड़कों ने भी पुलिस को दिए अपने बयानों में चौहान के बयान को शब्दश: दोहराया.

रैली में भाग लेने वाले शुभ गोयल नाम के एक और हिंदू लड़के ने भी एक हफ़्ते बाद अपने बयान में वही कहा जो चौहान ने कहा था.

दूसरे एफ़आईआर की चार्जशीट में मालू, माहेश्वरी और गोयल क्रमश: गवाह नं. 5, 6 और 7 हैं. इनमें से किसी का भी नाम पहले एफ़आईआर की चार्जशीट में आरोपियों के तौर पर शामिल नहीं है.

गिरफ़्तारी के बाद सौरभ पाल [फ़ेसबुक फ़ोटो]

> मोटरसाइकिल रैली के पाँच हिंदू लड़के चंदन गुप्ता को गोली लगने के बाद थाने ले गए थे. इनमें से किसी ने ये नहीं बताया है कि उन्होंने उसी वक़्त थाने में एफ़आईआर क्यों नहीं दर्ज किया

चौहान, पाल, मालू, माहेश्वरी और गोयल, पाँचों ने पुलिस को दिए बयानों में कहा कि सलीम द्वारा चंदन गुप्ता को गोली मारे जाने के बाद वो चंदन को लेकर सबसे पहले कासगंज थाने गए.

लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि थाने पहुँचने पर उन्होंने उसी समय एफ़आईआर क्यों नहीं दर्ज कराया या दंगाई मुसलमानों के नाम उसी समय क्यों नहीं पुलिस में दे दिए.

इन पाँचों ने पुलिस को यही जानकारी दी कि मोटरसाइकिल रैली का आयोजन अनुकल्प चौहान ने किया था.

दोनों एफ़आईआर की जाँच तीन महीने चली. इस जाँच के दौरान दर्ज हुए गवाहों के बयानों में इन पाँचों लड़कों के ख़िलाफ़ जाँच के और इन्हें शुरू में ही गिरफ़्तार कर लेने के लिए पर्याप्त आधार थे. पुलिस इनकी जाँच और गिरफ़्तारी लटकाती रही. मालू, माहेश्वरी और गोयल को पुलिस ने कभी भी गिरफ़्तार नहीं किया.

मौजूद नहीं, फिर भी आरोपी

तहसील रोड की कथित हिंसा के कम से कम तीन अभियुक्त ऐसे हैं जो पुख़्ता तौर पर घटना के समय वहाँ मौजूद नहीं थे.

चंदन के कथित हत्यारे सलीम का भाई वसीम 26 जनवरी को कासगंज से पश्चिम में 60 किलोमीटर दूर हाथरस शहर में था.

25 जनवरी की रात वसीम एक मुस्लिम धार्मिक ग्रुप के साथ बाहर चला गया था. ये लोग अगले दो दिन हाथरस रुके थे.

दस चश्मदीद गवाहों ने नोटराइज़्ड स्टैंप पेपर पर लिखकर पुलिस को दिया कि वसीम उनके साथ हाथरस में था. उनके मुताबिक़ हाथरस यात्रा के एक वीडियो में वसीम की मौजूदगी दिखती है.

मगर पुलिस ने इन लोगों के बयान तक नहीं लिए, न ही कथित वीडियो मांगा. पुलिस ने इनको मुक़दमे में गवाह भी नहीं बनाया.

एक दूसरा अभियुक्त, ज़ाहिद उर्फ़ जग्गा, 26 जनवरी की सुबह 330 किलोमीटर पूर्व स्थित राज्य की राजधानी लखनऊ में था.

जग्गा भी घटना से पिछली रात, 25 जनवरी को, अपने एक हिंदू दोस्त के साथ कासजंग से लखनऊ के लिए रवाना हो चुका था.

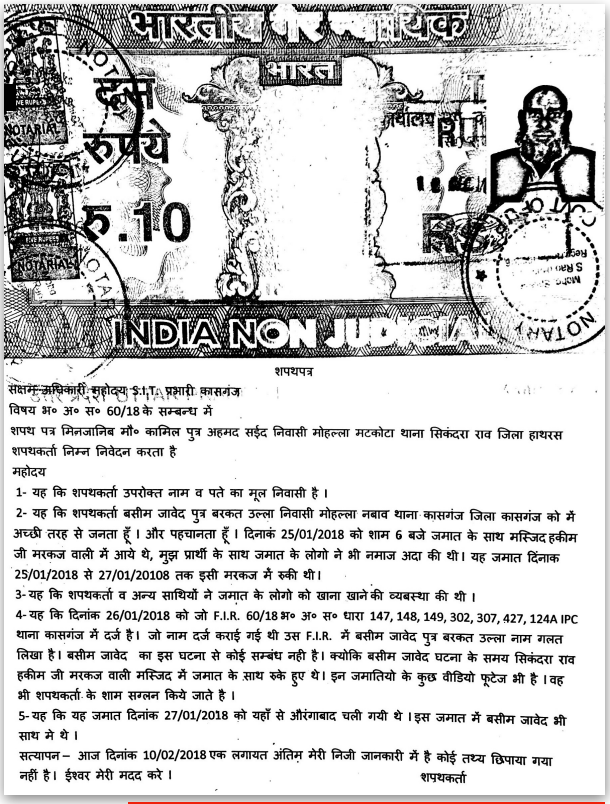

INDIA NON JUDICIAL

शपथपत्र

सक्षम अधिकारी महोदय S.I.T. प्रभारी कासगंज

विषय भ० अ० स० 60/18 के सम्बन्ध में

शपथ पत्र मिनजानिब मौ० कामिल पुत्र अहमद सईद निवासी मोहल्ला मटकोटा थाना सिकंदरा राव जिला हाथरस शपथकर्ता निम्न निवेदन करता है

महोदय

1- यह कि शपथकर्ता उपरोक्त नाम व पते का मूल निवासी है ।

2- यह कि शपथकर्ता बसीम जावेद पुत्र बरकत उल्ला निवासी मोहल्ला नबाव थाना कासगंज जिला कासगंज को में अच्छी तरह से जनता हूँ । और पहचानता हूँ । दिनाकं 25/01/2018 को शाम 6 बजे जमात के साथ मस्जिद हकीम जी मरकज वाली में आये थे, मुझ प्रार्थी के साथ जमात के लोगो ने भी नमाज अदा की थी। यह जमात दिंनाक 25/01/2018 से 27/01/20108 तक इसी मरकज में रुकी थी।

3- यह कि शपथकर्ता व अन्य साथियों ने जमात के लोगो को खाना खाने की व्यबस्था की थी ।

4- यह कि दिनांक 26/01/2018 को जो F.I.R. 60/18 भ० अ० स० धारा 147, 148, 149, 302, 307, 427, 124A IPC थाना कासगंज में दर्ज है। जो नाम दर्ज कराई गई थी उस F.I.R. में बसीम जावेद पुत्र बरकत उल्ला नाम गलत लिखा है। बसीम जावेद का इस घटना से कोई सम्बंध नही है। क्योकि बसीम जावेद घटना के समय सिकंदरा राव हकीम जी मरकज वाली मस्जिद में जमात के साथ रुके हुए थे। इन जमातियो के कुछ वीडियो फूटेज भी है । वह भी शपथकर्ता के शाम सग्लन किये जाते है ।

5- यह कि यह जमात दिनांक 27/01/2018 को यहाँ से औरंगाबाद चली गयी थे । इस जमात में बसीम जावेद भी साथ मे थे ।

सत्यापन – आज दिनांक 10/02/2018 एक लगायत अंतिम मेरी निजी जानकारी में है कोई तथ्य छिपाया गया नहीं है। ईश्वर मेरी मदद करे ।

शपथकर्ता

वसीम के समर्थन में अन्य मुसलमानों के हलफ़नामे

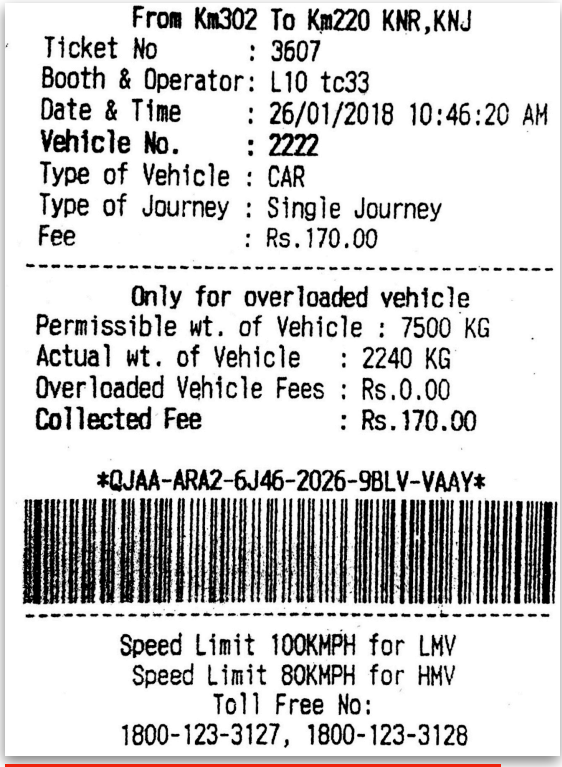

From Km302 To Km220 KNR,KNJ
Ticket No : 3607
Booth & Operator: L10 tc33
Date & Time : 26/01/2018 10:46:20 AM
Vehicle No. : 2222
Type of Vehicle : CAR
Type of Journey : Single Journey
Fee : Rs.170.00

Only for overloaded vehicle
Permissible wt. of Vehicle : 7500 KG
Actual wt. of Vehicle : 2240 KG
Overloaded Vehicle Fees : Rs.0.00
Collected Fee : Rs.170.00

QJAA-ARA2-6J46-2026-9BLV-VAAY

Speed Limit 100KMPH for LMV
Speed Limit 80KMPH for HMV
Toll Free No:
1800-123-3127, 1800-123-3128

जग्गा के लखनऊ से लौटते वक़्त टोलबूथ की रसीद

दरअसल उसके दोस्त की कार को लखनऊ पुलिस ने पहले से ज़ब्त किया हुआ था जिसे छुड़वाने के लिए ये दोनों लखनऊ गए थे.

लखनऊ के एक पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी के 26 जनवरी की सुबह 8:30 बजे के फ़ुटेज में जग्गा और उसके दोस्त साफ़ दिख रहे हैं.

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के एक मुस्लिम सदस्य, सैय्यद ग़योरुल हसन रिज़वी, ने फ़रवरी में आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिख कर आग्रह किया कि जग्गा पर लगे आरोपों की दोबारा जाँच की जाए.

आज तक आदित्यनाथ की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है.

मुक़दमे का एक तीसरा अभियुक्त, असीम क़ुरैशी, हिंसा के समय कासगंज से 70 किलोमीटर पश्चिम स्थित अलीगढ़ में था. इस बात की पुष्टि भी अलीगढ़ में सीसीटीवी फ़ुटेज से हो जाती है.

ऐसे पुख़्ता सबूतों के बावजूद वसीम और जग्गा छह महीनों से चंदन की हत्या के आरोप में जेल में हैं.

23 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वसीम को ज़मानत दे दी. लेकिन उसे छोड़ने के बजाए कासगंज प्रशासन ने वसीम पर 6 अगस्त को राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून लगा दिया.

घटनाक्रम: मुसलमानों की ज़बानी

पुलिसवालों के और रैली के हिंदुओं के बयानों को दोनों एफ़आईआर और चार्जशीटों में विस्तार से जगह मिली है. मगर मुसलमानों के बयान एफ़आईआर और चार्जशीटों में न के बराबर हैं.

मुसलमानों द्वारा इस घटना का विवरण सीधा और सपाट है.

मुसलमान कहते हैं कि हर साल अपने मोहल्ले में वो गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इसी परंपरा में इस साल भी अब्दुल हमीद चौक पर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम रखा गया था.

चंदन और चौहान द्वारा निकाली गई हिंदुओं की मोटरसाइकिल रैली वहाँ पहुँची और आगे जाने का रास्ता देने की माँग की.

मुसलमानों के मुताबिक़ जब उन्होंने आपत्ति जताई तो झड़प हुई और बाद में रैली के हिंदुओं ने पथराव और फ़ायरिंग किया.

मुसलमान कहते हैं उन्होंने गोली नहीं चलाई. चंदन की मृत्यु या हिंदू की गोली से या बिलराम गेट चौराहे पर पुलिस की गोली से हुई.

मुसलमान कहते हैं कि हालाँकि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि मुसलमानों ने बिलराम गेट चौराहे और तहसील रोड पर हिंदुओं पर गोलियाँ चलाई, अब तक इसकी पुष्टि न ही किसी तस्वीर से और न ही किसी वीडियो से हुई है.

> मुसलमान कहते हैं हिंदुओं ने उनके ध्वजारोहण कार्यक्रम में बाधा डाली, पथराव किया और गोली चलाई जिससे चंदन की मौत हुई. मुसलमान कहते हैं तहसील रोड पर कुछ नहीं हुआ

मुसलमानों का कहना है कि तहसील रोड पर कथित घटना कभी हुई ही नहीं.

कार्रवाई के लिए मांगें

इस रिपोर्ट को जारी कर रही है ये जनसभा मांग करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार:

- भ्रष्ट चार्जशीटों के नाम पर चलाए जा रहे दोनों मुक़दमों को फ़ौरन वापस ले;
- इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट की देखरेख में घटना की स्वतंत्र पुलिस जाँच करवाए;
- दंगा न होने देने में, और दंगा होने के बाद बढ़ने से रोकने में, पुलिस और प्रशासन की नाकामी की उच्चस्तरीय जाँच कराए;
- जाँच को भ्रष्ट किए जाने में और बेगुनाह मुसलमानों को फंसाए जाने में ज़िम्मेदारी तय करने के लिए उच्चस्तरीय जाँच कराए;
- मुसलमानों पर लगाए गए झूठे आरोप वापस लेकर उनको रिहा करे;
- मोटरसाइकिल रैली में शामिल हिंदुओं को गिरफ़्तार करे और हिंसा में उनकी भूमिका की जाँच करे